मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा / 2018–19 / 909 भोपाल दिनांक 29 जून 2018

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

2. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त),
.... जिला ....(म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की मण्डी समितियों में ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली को लागू किये जाने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा / 2018–19 / 868–869 दिनांक 07 जून 2018 एवं पत्र क्रमांक 870–871 दिनांक 07 जून 2018।

–0–

प्रदेश की मण्डी समितियों में दिनांक 01 जुलाई 2018 से ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली को लागू किये जाने के संबंध में दिनांक 19 जून 2018 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में श्री इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ इंदौर एवं दिनांक 25 जून 2018 को भोपाल व्यापारी संघ के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों के साथ मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें व्यापारी संघों द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश ई–अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली में किये जाने के साथ ही उक्त प्रणाली से अभ्यस्त होने के लिये व्यापारी / मण्डी कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन संभागीय / मण्डी स्तर पर किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त बैठकों में उपस्थित व्यापारी संघों के पदाधिकारियों / प्रतिनिधियों को प्रथमतः ई–अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली में विहित प्रकिया की सम्पूर्ण जानकारी दी गई। व्यापारी संघों से प्राप्त सुझाव का समावेश ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली में किये जाने के संबंध में बैठक में उपस्थित रहे मण्डी बोर्ड एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई भोपाल के संबंधित अधिकारियों / प्रतिनिधियों को ई–अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली के साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार, संशोधनों की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी माह जुलाई 2018 तक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं मण्डी कर्मियों के लिये प्रशिक्षण की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली जावे।

पूर्वानुसार निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत व्यापारी द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु घोषणा पत्र (प्ररूप–10) प्रस्तुत किये जाने पर मण्डी सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी से प्ररूप–10 की प्रविष्टि ई–अनुज्ञा प्रणाली पर करने के उपरांत प्ररूप–9 में सिस्टम जनित ई–अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि प्रथमतः मेनुअली जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्रों की प्रविष्टी पहले ई–अनुज्ञा प्रणाली में होगी तत्पश्चात सिस्टम जनित अनुज्ञा

पत्र का क्रमांक मेनुअली जारी किये गये अनुज्ञा पत्र के उपरार्ध भाग पर दर्ज यथा अंकित करना आवश्यक होगा। यदि ई–अनुज्ञा पत्र जारी करने में तकनीकी कारणों से विलम्ब होने की स्थिति में मेनुअल अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा, ऐसे जारी अनुज्ञा पत्र की प्रविष्टी ठीक उसी कार्य दिवस में ई–अनुज्ञा पोर्टल पर अनिवार्य रुप से दर्ज की जावेगी।

मण्डी प्रांगण में प्रतिदिन होने वाले क्रय से संबंधित व्यापारीवार भुगतान पत्रकों को उसी दिवस अथवा दूसरे दिवस अनिवार्यतः ई–अनुज्ञा प्रणाली पर दर्ज/प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु मण्डी शुल्क शाखा प्रभारी एवं/अथवा प्रांगण प्रभारी को उत्तरदायित्व सौंपा जावे। कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2018/पार्ट–1/1030–1031 दिनांक 29 जून 2018 से मण्डी समितियों को ठेके पर एजेन्सी के माध्यम से डाटा एण्ट्री आप्रेटर उपलब्ध कराये गये हैं। ई–अनुज्ञा प्रणाली में व्यापारीवार भुगतान पत्रक एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रविष्टि कराने हेतु इन डाटा एण्ट्री आप्रेटर से आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य का पर्यवेक्षण मण्डी सचिव के द्वारा प्रतिदिन किया जावे।

अतः उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा/2018–19/910 भोपाल दिनांक 29 जून 2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) निज सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सह अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

(3) अपर संचालक (वित्त)/अपर संचालक (एम0आई0एस0 एवं नियमन)/अपर संचालक (प्रशिक्षण)/अपर संचालक (योजना) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(4) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(5) श्री अब्राहम वर्गिस, सीनियर साईंटिस्ट–"ई", भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन, भोपाल।

(6) श्री जितेन्द्र पाराशर, साईंटिस्ट–"बी", भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल